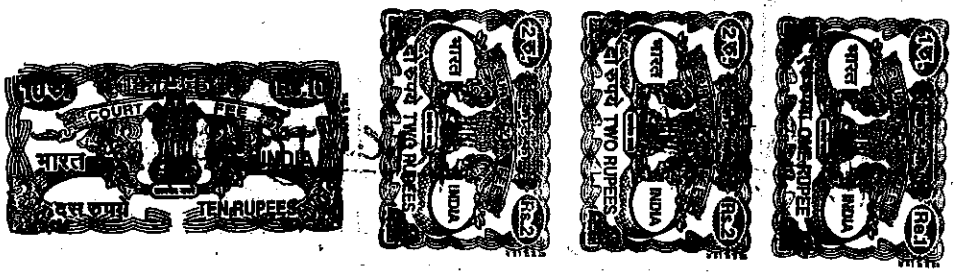

समक्ष न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक -------/ 13- 14 निग-1907-II-14

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक - गणेश प्रसाद बल्द बाबूलाल कुर्मी उम्र लगभग 61 वर्ष निवासी- ग्राम परतापुर तहसील व जिला सिवनी म0प्र0

वि रु द्व

गैरपुनरीक्षणकर्तागण / - अनावेदकगण

1. मध्य प्रदेश शासन
2. अंबिका प्रसाद बल्द स्व0 हरिशचंन्द्र
3. राजकुमार कुर्मी बल्द स्व0 हरिशचंद्र
4. संतोष कुर्मी बल्द स्व0 हरिशचंद्र
5. राजेन्द्र कुर्मी बल्द स्व0 हरिशचंद्र
6. विनोद कुर्मी बल्द स्व0 हरिशचंद्र
7. श्रीमति कुमाल सिंह पितास्व0 हरिशचंद्र
8. श्रीमति चन्द्रकला पति स्व0 हरिशचंद्र
9. सुनीता बल्द हरिशचंद्र
10. ममता बल्द हरिशचंद्र
11. ज्योति बाई बल्द हरिशचंद्र
12. प्रीति बल्द हरिशचंद्र
13. शारदा बल्द हरिशचंद्र

सभी निवासी- ग्राम राधादेही तहसील व जिला सिवनी म0प्र0 ।

14. गया प्रसाद बल्द बाबूलाल कुर्मी निवासी- परतापुर तहसील व जिला सिवनी
15. प्रेमवती पत्नी लूटन प्रसाद कुर्मी निवासी- सुकरी तहसील व जिला सिवनी
16. सरस्वती बाई विधवा बलराम कुर्मीनिवासी सुकरी तहसील व जिला सिवनी ।
17. शैल कुमारी पति गप्पू कुर्मी निवासी ग्राम पाजरा तहसील व जिला सिवनी म0प्र0

2..

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959.

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्र0क्रमांक 1247/अ-27/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31.5.2014 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 9.7.2013 एवं विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय सिवनी के0प्र0 11/अ-27/10-11 में पारित आदेश दिनांक 24.5.2012 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो के तहत प्रस्तुत कर रहा हैकि :---

।। त थ्य ।।

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम परतापुर तहसील व जिला सिवनी म0प्र0 का स्थायी निवासी है ।

2. यह कि गैरपुनरीक्षणकर्तागण/ अनावेदकगण क्रमांक 2 से 13 द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी भाग-1 के समक्ष एक आवेदन म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम परतापुर प0 ह0 नं0 88 नं0बं0 320 रा0नि0मं0 सिवनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 75/1 रकबा 0.73 हेक्टेयर भूमि का बटवारा किए जाने बाबद प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-27/2010-11 के रूप में दर्ज किया गया तथा प्रकरण का अंतिम निराकरण दिनांक 24.5.2012 को कर दिया गया । उक्त आदेश की प्रति यहां संलग्न है, जो प्रदर्श पी/1 है ।

3. यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2012 के विरूद्ध वर्तमान आवेदक द्वारा एक अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे प्र0क्र0 51/अ-27/2011-12 के रूप में दर्ज किया जाकर प्रकरण का निराकरण दिनांक 9.7.2013 को कर दिया गया । उक्त आदेश की प्रति यहांपर संलग्न है जो कि प्रदर्श पी/2 है ।

OATH COMMISSIONER CHHINDWARA

3..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1901/दो/2014 जिला–सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1247/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक क्रमांक 2 से 13 द्वारा नायब तहसीलदार, सिवनी के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम परतापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 75/1 रकवा 0.85 है0 भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 24.05.2012 से अंतिम निराकरण कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 09.07.2013 से निरस्त हुयी। तत्पश्चात् एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 31.05.2014 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।	

3— आवेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया था कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 2 से 13 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर आधारित नहीं है, जिसे वैधानिक मानकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक, अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी कि विवादित भूमि आवेदक को मौखिक बंटवारें के आधार पर प्राप्त हुयी है। लेकिन इस तथ्य पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया है। बंटवारे में प्राप्त भूमियॉ को अनावेदकगण को प्रदान की है, जबकि उपरोक्त भूमियॉ आवेदक को प्राप्त होना चाहिए थी। आवेदक एवं अनावेदकगणों के मध्य हुए मौखिक समझोते के अनुसार भूमि का आधा हिस्सा आवेदक को प्रदान किया गया था। जिस आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2004 से आवेदक की भूमि पर अनावेदकगण का नाम भी शामिल सरीक में जोड़ा गया तथा बदले में अनावेदकगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का हिस्सा आवेदक को प्रदान किया गया। किन्तु आवेदक को विधिक जानकारी कम होने के कारण उक्त भूमि पर से अनावेदक का नाम विलोपित नहीं करा सका। जिसका अनुचित लाभ उठाकर अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय से त्रुटिपूर्ण आदेश प्राप्त कर लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम परतापुर की भूमि आवेदक को

प्राप्त हुयी है तथा ग्राम राधादेही की भूमि अनावेदकगण को वापसी बंटवारे में प्राप्त हुयी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कथनों पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक क्रमांक 1 म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में विधिवत आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त की जाये।

अनावेदक क्रमांक 2 से 13 को सूचना दी गयी है, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में पेशी दिनांक 20.06.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रकरण में आदेश प्राप्त अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

5— विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, उसमें विचारण के दौरान आवेदक की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत कर बताया था कि वर्ष 1985 के वैशाख महिने तक बाबूलाल अपनी पत्नी तथा तीनों पुत्रों की पत्नी एवं बच्चों के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में रहा है। बाबूलाल परिवार का कर्त्ताधर्ता था और बाबूलाल की कमजोरी की हालत में बाबूलाल का बड़ा पुत्र हरिशचन्द्र होने के कारण परिवार का

कर्त्ताधर्ता रहा, बाबूलाल को भाई बंटवारा में ग्राम परतापुर, पुराना पटवारी हल्का नं.83 में स्थित खसरा नं.75 रकवा 1.70, 101 रकवा 2.10, खसरा नं.124 रकवा 0.05, 170 रकवा 0.25, 181 रकवा 0.05, 193 रकवा 0.97 प्राप्त हुयी थी। बाबूलाल ने संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 08.04. 1970 से ग्राम राधादेही तत्कालीन पटवारी हल्का नं.76 में स्थिति भूमि खसरा नं.103 रकवा 0.08 एवं खसरा नं.51/5 रकवा 2 एकड़, कुल रकवा 2.08 एकड़ रनछोडदास पिता सुन्दरदास से तथा इसी दिनांक को ग्राम राधादेही, प.ह.नं. 76 में स्थित भूमि खसरा नं.27/6–घ का रकवा 2 एकड़ खरीदकर पंजीकृत विक्रयपत्र संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हरीशचन्द से करवाया था दिनांक 14.07.1973 को ग्राम राधादेवी, तहसील व जिला सिवनी की भूमि खसरा नं. 51/1 का रकवा 2.205 है0 रनछोडदास पिता सुन्दर दास से खरीदकर इसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हरिशचन्द्र के नाम से करवाया था तथा दिनांक 16.07.1975 को ग्राम राधादेही की भूमि खसरा नं.57 रकवा 3.088 हैक्टेयर देबूलाल से खरीदकर इसका रजिस्टर्ड विक्रयपत्र संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य अंबिका प्रसाद के नाम से करवाया था तथा ग्राम राधादेही की भूमि जिसका वर्तमान खसरा नं.154 रकवा 2. 89 है0 को आवेदक गणेश प्रसाद के नाम से करवाया था। इस कारण ऊपर बताई गई सम्पूर्ण कृषि भूमियां। संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों का बाबूलाल कुर्मी एवं उनके पुत्र गणेश प्रसाद कुर्मी, हरिशचन्द्र कुर्मी एवं गया प्रसाद कुर्मी के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण वर्ष 1985 के वैशाख महिने में उक्त सयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पूर्णतः

विभाजन संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यों के मध्य हुआ। यह विभाजन आपसी मौखिक विभाजन था, जिसकी कोई लिखा–पढी नहीं थी। विभाजन सद्भावी था, जिसमें आवेदक को ग्राम परतापुर प.ह.नं.83/49 की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं.75/1 रकवा 0.85 है0, खसरा नं.75/2 रकवा 0.85, 124 रकवा 0.05, 181 रकवा 0.05, 183 रकवा 0.96, 93 रकवा 3.43, कुल रकवा 5.86 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुयी तथा हरिशचन्द्र को ग्राम राधादेही की भूमि खसरा नं. 51/1 रकवा 2.205, 103 रकवा 0.08, 51/5 रकवा 2 एकड, 27/6–घ रकवा 2 एकड, 57 रकवा 3.088 वर्तमान खसरा नं.154 रकवा 2.89 हैक्टेयर प्राप्त हुआ तथा गयाप्रसाद को परतापुर की भूमि खसरा क्रमांक 211 रकवा 2.43 है0, 88 रकवा 2.01 हैक्टेयर प्राप्त हुयी एवं बाबूलाल तथा उसकी पत्नी श्रीहति शांताबाई को शामिल शरीक रूप से ग्राम परतापुर की भूमि खसरा नं.101 रकवा 2.10 हैक्टेयर प्राप्त हुयी। इस प्रकार आपसी बंटवारा के परिणाम स्वरूप बंटवारा के सभी पक्ष, बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमियों पर बंटवारा दिनांक से ही काबिज हो गये है। हरिशचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी को भूमि प्राप्त हुयी और वह बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमियों पर काबिज हैं। उक्त आपसी मौखिक बंटवारे को हरिशचन्द्र के जीवनकाल में कभी चुनौती नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में पूर्व में हुए बंटवारा के कारण भूमि का पुनः बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया था कि उक्त भूमि के संबंध में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, सिवनी के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को बंटवारा

की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2012 पारित किया है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। कौटुंबिक व्यवस्था के रूप में पक्षकारों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन स्वतंत्र एवं पृथक कृषि करते हुए कब्जा साक्ष्य द्वारा स्थापित कौटुंबिक व्यवस्था पर कार्यवाही की गयी और वह वर्षों तक अबिच्छिन रही, ऐसी व्यवस्था को कौटुंबिक व्यवस्था के पक्षकार की मांग पर विक्षुब्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा 1996 आर.एन. 33 में जो व्यवस्था दी है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। हक संबंधी प्रश्न का निर्धारण व्यवहार न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए जबकि इस संबंध में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार वाद 79ए/2011 प्रस्तुत कर दिया गया है, किन्तु इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उपरोक्त आदेश को अपीलीय न्यायालयों द्वारा बिना किसी कारण के स्थिर रखने में वैधानिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2013 तथा नायब तहसीलदार, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं।

सदस्य